प्रमाणित फोटो कापी... निर्णय ...... उनवानी
मुकदमा रघुनाथ - रहमान ... 05/21
तारीख रजु ... 02.02.21 ... ता. निर्णय ... 17-07-22
किस्म मुकदमा.. दावा... न्याया० ACM गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजु.	तारीख निर्णय
5/2021	2.2.2021	17.7.2022

रघुनाथ पुत्र हरचंदा, माली निवासी मालियो की चौकी तह0 गंगापुर सिटी
—वादी

बनाम

1. रघुनाथ तथाकथित पुत्र बदरी, माली नि. मालियो की चौकी, गंगापुर सिटी
2. सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित : श्री मो0 इस्लाम, एडवोकेट वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मालियां की चौकी (अमरगढ) मे हरचंदा पुत्र सीताराम माली की खातेदारी की भूमि एकीकरण ख0न0 106/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 107 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, 173 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 214 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा स्थित थी। बदरी पुत्र सीताराम, हरचंदा पुत्र सीताराम का संगा भाई था जो लाऔलाद फौत हुआ था। खातेदारी की भूमि भी बदरी पुत्र सीताराम के नाम दर्ज नही थी। खातेदारी भी हरचंदा पुत्र सीताराम के नाम दर्ज थी तथा हरचंदा पुत्र सीताराम वादी का सगा पिता था लेकिन रेवन्यु कर्मचारियों ने दौराने एकीकरण बदरी के मरने के बाद गलत रूप से हरचंदा की जमीन मे वादी का नाम रघुनाथ पुत्र बदरी के नाम से दर्ज कर दिया जबकि हरचंदा के जीवनकाल मे हरचंदा की भूमि मे से वादी जो कि हरचंदा का सगा पुत्र है वादी का नाम रघुनाथ पुत्र बदरी दर्ज करने का एकीकरण विभाग वालों को कोई अधिकार नही था तथा रघुनाथ पुत्र बदरी मालियों की चौकी मे वादी क अलावा अन्य कोई व्यक्ति नही है। वादी की वोटरलिस्ट, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड सभी मे वादी का नाम रघुनाथ पुत्र हरचंदा दर्ज है। वादी के पिता हरचंदा पुत्र सीताराम का इंतकाल करीब 20 साल पहले हुआ है। उनकी विरासत भी वादी के नाम दर्ज की गई है जो रघुनाथ पुत्र हरचंदा के नाम से दर्ज की गई है लेकिन भूमि ख0न0 376, 377, 397, 398 स्थित मालियों की चौकी मे वादी के पिता का नाम रघुनाथ पुत्र बदरी दर्ज है। जिससे वादी के हितों पर विपरित असर पडने की पूरी संभावना है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम मालियो की चोकी तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित भूमि ख0न0 376, 377, 397, 398 मे रघुनाथ पुत्र बदरी की बजाय रघुनाथ पुत्र हरचंदा दर्ज किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन पर यह रिपोर्ट आयी है कि रघुनाथ पुत्र बदरी व

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... सिटी (स0मा0)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक गंगापुर सिटी

रघुनाथ पुत्र हरचंदा एक ही व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 2 उपस्थित हुए परन्तु उनकी ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही हुआ।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श2, नकल जमाबंदी खतौनी भूमि एकीकरण प्रदर्श 3, सरपंच ग्राम पंचायत आगरगढ़ का प्रमाण पत्र दिनांक 24.7.2018 प्रदर्श4, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श5, नकल जमाबंदी संवत 2015–18 प्रदर्श 6, फोटोकॉपी पहचान पत्र रघुनाथ पुत्र हरचंद, फोटोकॉपी आधार कार्ड रघुनाथ पुत्र हरचंद, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम मालियोकी चौकी खाता संख्या 203, 207, 141, 206 प्रस्तुत किये है तथा बयान वादी पीडब्ल्यू 1 कराये है।

विद्वान वकील वादी की बहस सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। सवंत 2015–18 प्रदर्श 6 के अनुसार कुल किता 16 रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा भूमि हरचंदा पुत्र सीताराम की खातेदारी मे दर्ज रही है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 के अनुसार साबिक ख0न0 179, 180, 192, 193 से बने एकीकरण ख0न0 99 की खातेदारी रघुनाथ बल्द बदरी माली के नाम दर्ज की गई है जबकि यह रघुनाथ पुत्र हरचंदा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इसी प्रकार एकीकरण ख0न0 99 से बने हॉल ख0न0 376, 377, 397, 398 की खातेदारी भी रघुनाथ पुत्र बदरी के नाम दर्ज की गई है जबकि यह रघुनाथ पुत्र हरचंदा के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। रघुनाथ पुत्र बदरी व रघुनाथ पुत्र हरचंदा एक ही व्यक्ति है यह सम्मन पर प्राप्त तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से स्पष्ट है तथा एकीकरण से पूर्व की जमाबंदी संवत 2015–18 प्रदर्श 6 में दर्ज अधिकांश भूमि के नवीन नम्बर जो बने है उनमे रघुनाथ के पिता का नाम हरचंदा दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट है कि रघुनाथ के पिता का नाम हरचंदा है तथा भूमि ख0न0 376, 377, 397, 398 ग्राम मालियो की चौकी मे दर्ज रघुनाथ की वल्दियत बदरी के बजाय हरचंदा दर्ज कराने का वादी अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 376, 377, 397, 398 ग्राम मालियो की चौकी मे दर्ज प्रविष्ठि रघुनाथ पुत्र बदरी हि0 पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार के स्थान पर

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक दण्डनायक

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
...र सिटी (ह...

रघुनाथ बनाम रघुनाथ वगैरा, दावा

वृष्ठि रघुनाथ पुत्र हरचंदा हि0 पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे दुरूस्ती की जावें।

पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-3-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक कलेक्टर

एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

गंगापुर सिटी

(अनिल कुमार चौधरी)

सहायक कलेक्टर एवं

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर

सत्यमेव जयते